



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1947 (श10)  
(सं0 पटना 188) पटना, सोमवार, 9 फरवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना  
9 फरवरी 2026

एस0 ओ0 75 दिनांक 9 फरवरी 2026—चूँकि बिहार सरकार का मानना है कि अन्य राज्यों में अथवा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अनुदान स्वरूप दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करना, मृत प्रवासी मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके स्थायी निवास तक पहुँचाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करना आवश्यक है।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2026

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

- (1) यह नियमावली "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के नियम-5 का संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

5. प्रवासी मजदूर की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी एवं स्थायी आंशिक अपंगता के मामले में, न्यायनिर्णित आश्रितों अथवा प्रवासी मजदूर को अनुदान की राशि RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता के माध्यम से देय होगी। यदि अंचलाधिकारी द्वारा घोषित आश्रितों के विरुद्ध कोई विवाद हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील होगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (क) प्रवासी मजदूर की मृत्यु की स्थिति में उनके न्याय-निर्णित आश्रित(तों) को 4,00,000/—(चार लाख रुपये) के अनुदान राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता में किया जाएगा।
- (ख) प्रवासी मजदूर के पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रु० 1,00,000/— (एक लाख रुपये) के अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता में किया जाएगा।
- (ग) प्रवासी मजदूर के स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में रु० 50,000/— (पचास हजार रुपये) के अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता में किया जाएगा।
- (घ) राज्य के बाहर अथवा विदेशों में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में उनके पार्थिव शरीर को किसी भी परिवहन साधन द्वारा उनके स्थायी निवास स्थान तक पहुँचाने पर होने वाले व्यय की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

सं० 1/IML-06/2016-16/ श्र०सं०  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

9 फरवरी 2026

एस० ओ० 76 एस० ओ० 75 दिनांक 9 फरवरी 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

सं० 1/IML-06/2016-17/ श्र०सं०  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

*The 9<sup>th</sup> February 2026*

**S.O. 75, dated 9<sup>th</sup> February 2026.**—Since the Government of Bihar is convinced that it is necessary to increase the amount of grant given to migrant labourers working in unorganized sector in other States or abroad in the event of death due to accident and to provide financial assistance for transporting the dead bodies of deceased migrant labourers to their permanent residence.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Article 39 (a) of the Constitution of India, the State Government makes following rules to amend the "Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme Rules, 2008":-

Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme (Amendment) Rules, 2026

**1. Short title, extent and commencement.**—

- (1) These rules may be called the “Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme (Amendment) Rules, 2026”.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) This notification shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

**2. Amendment in rule 5 of Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme Rule, 2008.**— *Rule 5 of the said rules shall be substituted as follows:-*

5. In case of death, permanent Partial disability or Permanent disability of a migrant labourer, Amount of grant shall be paid by Real Time Gross Settlement (RTGS) method to the adjudged dependent or to the migrant labourer. If there is any dispute against the dependents declared by the

Circle Officer, an appeal shall lie before to the District Magistrate whose decision shall be final.

- (a) In case of death of a migrant labourer a grant of Rs. 4,00,000/- (Four Lakh) shall be paid to the decided dependent (s) in his Bank Account by Real Time Gross Settlement (RTGS) method.
- (b) In case of permanent disability of a migrant labour, a amount of grant of Rs. 1,00,000/- (One Lakh) shall be paid in his Bank Account by Real Time Gross Settlement (RTGS) method.
- (c) In case of permanent partial disability of a migrant labour, a amount of grant of Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) shall be paid in his Bank Account by Real Time Gross Settlement (RTGS) method.
- (d) In case of accidental death of a migrant labourers working outside the State or in foreign countries, the State Government shall bear the amount of expenditure incurred on transportation for transporting their dead bodies to their permanent place of residence by any means of transport."

No.1 / IML-06/2016-16/L.R

By the order of the Governor of Bihar,  
RAJEEV RANJAN,  
*Joint Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 188-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>